न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :— कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 128/2024 (उदयपुर डिकी)

1. मांगीलाल माली पिता बंशीलाल जी माली, निवासी सेन्ट ग्रिगोरियस स्कूल के सामने, उदयपुर (राज.)
2. गणेशलाल माली पिता रामलाल जी माली, निवासी 100 फिट रोड़, खारा कुंआ, उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. चारभुजा महाराज स्थान ब्रह्मपुरी, उदयपुर खातेदार नाबालिग जरिये चारभुरा मंदिर, धार्मिक न्यास, खोड़ी आमली, चांदपोल, उदयपुर जरिये मुख्य न्यासी, महेन्द्र कुमार वैरागी पिता श्री जगन्नाथदास वैरागी, निवासी खोड़ी आमली, चांदपोल, उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिकी सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
गिर्वा दि. 11.09.2024 प्र.सं. 84/19

---/---

उपस्थित :— 1— श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण

2— श्री धनसिंह झाला अभिभाषक रेस्पो. सं. 2

---::---

निर्णय **दिनांक 11—08—2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम आयड़, तहसील गिर्वा में आराजी नंबर 1102 से 1104, 1108/[illegible] से 1111, 1138 से 1144 कुल किता 14 रकबा 0.8550 हैक्टर भूमि [illegible] खाते में दर्ज होकर कुछ हिस्से पर वादी की तरह से काश्त [illegible] पुजारी तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:24 IST
Reason: SelfAttested

मुख्य न्यासी एवं उसके पूर्वज करते चले आ रहे हैं एवं कुछ हिस्सा खाली पड़ा है, जिसकी देखभाल खड़मदार की हैसियत से वादीगण की ओर से मंदिर के पुजारी करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं उनके नाम के कई अनजान व्यक्ति मौके पर आकर दखलन्दाजी करने की कोशिश कर सकते है तथा मौके व रेकार्ड की स्थिति को गैर कानूनी रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात के साबिक आराजी नंबर 551/1 रकबा 2 बिस्वा, 551/2 रकबा 10 बिस्वा, 551/3 रकबा 8 बिस्वा, 557 रकबा 18 बिस्वा, 558 रकबा 1 बिस्वा, 559 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 561 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा थे। वादी का विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। वादग्रस्त भूमि के खडमदार मयाराम, डालू, उदा, दयाराम पिता चतरभुज व हीरालाल वल्द नन्दा माली साकिन आयड़ थे तथा जगन्नाथ पिता अम्बालाल जी इसके पुजारी थे, परन्तु पुजारी का नाम अम्बालाल चला आ रहा था, जिन्होंने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से उक्त भूमि दिनांक 29–01–1965 को खड़मदार दौलतराम, हीरालाल, उदयलाल, दयाराम व नेणीराम माली थे, के हक में निष्पादित किया, तब से भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। खाते में चारभुजा का नाम गलत दर्ज हो जाने से वादी ने जानबूझकर गलत वाद पेश किया है, जबकि उक्त भूमि का विक्रय पत्र महेन्द्र कुमार पिता जगन्नाथ द्वारा ही निष्पादित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा अपने पूर्वजों के समय से चला आ रहा है, इस कारण प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 8 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 11–09–2024 को वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, [illegible] होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 [illegible] यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:24 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री धनसिंह झाला उपस्थित हुए, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पर आयी साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं किया है। तनकी नंबर 1 जिसे साबिक कराने का भार वादी पर था, वादी द्वारा उक्त तनकी साबित नहीं कराये जाने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के पक्ष में सिद्ध मानकर निर्णय करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 से 7 पर ही निर्णय पारित किया है, तनकी नंबर 8 पर कोई निर्णय पारित नहीं किया है। जगन्नाथ जी ने वर्ष 1965 में ही उक्त भूमि अपीलान्टगण के पूर्वज को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया था। अपीलान्टगण भू–प्रबन्ध के पूर्व से ही उक्त भूमि में अभिलिखित खातेदार हैं तथा कब्जा 50 वर्षो से भी अधिक समय से अपीलान्टगण का चला आ रहा है। वादी/रेस्पोडेन्ट का विवादित भूमि पर एक दिन भी कब्जा नहीं रहा। बिना कब्जे के धारा 188 का वाद कानूनन लाया ही नहीं जा सकता, वादी को धारा 183 का दावा लेकर आना चाहिए था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.बी.जे. (22) 2015 पेज 51 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि विवादित आराजियात मंदिर मूर्ति की भूमि है, जो शाश्वत नाबालिग है, कानूनन नाबालिग की भूमि का विक्रय किया ही नहीं जा सकता। अधीनस्थ का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:24 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीर का अध्ययन किया। राजस्व अभिलेखों वादग्रस्त आराजी नंबर 1102 से 1104, 1108/2251, 1109 से 1111, 1138 से 1144 कुल किता 14 रकबा 0.8550 हैक्टर भूमि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्री चारभुजा जी महाराज स्थान ब्रह्मपुरी उदयपुर माफीदार खुदकाश्त पुजारी श्री जगन्नाथ पिता अम्बालाल बैरागी के नाम दर्ज है। अपीलान्ट का कथन है कि विवादित भूमि जगन्नाथ जी ने वर्ष 1965 में ही उक्त भूमि अपीलान्टगण के पूर्वज को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया था तथा कब्जा 50 वर्षो से भी अधिक समय से अपीलान्टगण का चला आ रहा है। वादी/रेस्पोडेन्ट का विवादित भूमि पर एक दिन भी कब्जा नहीं रहा। बिना कब्जे के धारा 188 का वाद कानूनन लाया ही नहीं जा सकता, वादी को धारा 183 का दावा लेकर आना चाहिए था। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि विवादित भूमि श्री चारभुजा जी महाराज के खातेदारी की थी, जो शाश्वत नाबलिग होकर उसे विक्रय करने का अधिकार खडमदार अथवा पुजारी को नहीं है तथा राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार पुजारियों का नाम हटाये जाने का आदेश दिया गया है। स्वयं अपीलान्ट विवादित भूमि पर अपना कब्जा होने का कथन करता है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट/प्रतिवादीगण द्वारा मंदिर मूर्ति की भूमि में हस्तक्षेप किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/रेस्पोडेन्ट का वाद स्वीकार कर अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11–09–2024 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 11–08–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:24 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....

व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** .....

मांगीलाल माली पिता बंशीलाल माली निवासी सेन्ट ग्रिगोरियस स्कूल के सामने, उदयपुर व अन्य बनाम **चारभुजा महाराज स्थान बह्मपुरी उदयपुर खातेदार नाबालिग जरिये चारभुजा मंदिर धार्मिक न्यास खोडी आमली मुख्य न्यासी महेन्द्रकुमार वैरागी पिता जगन्नाथ वैरागी नि. खेडी आमली, चांदपोल, उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**128/2024**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा**... मुकाम.....मुवर्खे.....**11**.....माह.....**09**.....**2024**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**11**....माह.....**08**.....सन् **2025** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री धनसिंह झाला**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11–09–2024 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....)....रूपये..... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**11**.....माह.....**08**.....**2025**..... को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ..... 2. स्टाम्प वकालत नामा 3. इजराय हुक्मनामा .. 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का चाहे जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:13:24 IST
Reason: SelfAttested